आर.बी.इ सं0 : 82/2000
एमसी सं0 7 का एससी सं0 5

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0 ई(एनज़ी) II/99/आर.आर.-2/3 नई दिल्ली, ता0 04.05.2000

महाप्रबन्धक(कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें
उत्पादन इकाइयां आदि

विषय : स्काउट तथा गाइड कोटे के अन्तर्गत भर्ती के लिए कार्यविधि ।

इस मंत्रालय का दिनांक 26.05.88 क़ा पत्र सं0 ई(एनज़ी)II 86/आर.आर.-2/3 और इस मंत्रालय के दिनांक 22.10.90 क़े पत्र सं0 ई(एनज़ी)II90/आर.आर.-2 चार मास्टर सर्कुलर के अन्तर्गत जारी किये गए मास्टर परिपत्र सं0 7/90 में समेकित किये गये विभिन्न अन्य अनुदेश देखें जो सांस्कृतिक/स्काउट और गाइड कोटे के अन्तर्गत भर्ती और इसकी अर्हताओं आदि के बारे में है ।

2 स्काउट और गाइड कोटे के अन्तर्गत भर्ती के लिए कार्यविधि को सुप्रवाही बनाने का प्रश्न पिछले कुछ समय से रेल मंत्रालय के विचाराधीन है । अब निम्नलिखित कार्यविधि निर्धारित करने का विनिश्चय किया गया है -

(1) भर्ती स्वयं रेल प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए ।

(2) कोटे के अन्तर्गत भर्ती इस मंत्रालय के दिनांक 17.09.98 क़े पत्र सं0 इ(एनज़ी)II/99/आर.आर.-/62 में निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करते हुए खुले विज्ञापन द्वारा की जानी चाहिए ।

(3) कोटे के अन्तर्गत भर्ती के लिए विचार करने हेतु शैक्षिक अर्हताएं वही होंगी जो क्रमश: ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' कोटियों में भर्ती हेतु लागू हैं ।

(4) भर्ती निम्नलिखित प्रारम्भिक ग्रेडों में हीं की जाएगी -

ग्रुप 'सी' - ग्रेड 3050-4590 रूपये 3200-4900 रूपये
ग्रुप 'डी' - ग्रेड 2550-3200 रूपये

(5) भर्ती के लिए वार्षिक कोटा नीचे लिखे अनुसार है :-

ग्रुप 'सी'	- 4 प्रति रेलवे प्रतिवर्ष
	- 1 प्रति उत्पादन इकाई प्रतिवर्ष
ग्रुप 'डी'	- 2 प्रति मंडल/उत्पादन इकाई प्रतिवर्ष से अधिक नहीं

:: टिप्पणी :: उत्तर रेल द्वारा बोर्ड के दिनांक 10.03.99 और 19.04.99 क़े पत्र सं0 इ(एनज़ी)॥/96/आर.आर./2/2 क़े अनुसार ग्रुप 'सी' में प्रतिवर्ष 1 अतिरिक्त स्काउट या गाइड और ग्रुप 'डी' में प्रतिवर्ष 2 स्काउट और गाईड, जिन्हें अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन में तैनात किया जाए, भर्ती की जाए ।

(6) स्काउट और गाइड की ग्रुप 'डी' में भर्ती की शक्तियां महाप्रबन्धकों द्वारा मंडल रेल प्रबन्धकों को प्रत्यायोजित की जाएं ।

(7) अन्य समान कोटियों में भर्ती के लिए यथा लागू आयु सीमा बाद में सूचित की जाएंगी।

(8) ग्रुप 'सी' और ग्ु रप 'डी' पदों के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र मंगवाएं जाएं ।
ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' पदों के लिए चयन भी अलग-अलग किया जाएगा ।
उम्मीदवार ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' दोनों पदो के लिए आवेदन कर सकता है।

(9) ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' पदों में स्काउट/गाइड की भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं लागू होंगी :-
(क) अध्यक्ष के स्काउट/गाइड/रेंजर/रोवर
या
हिमालय वुड बैजधारी
या
पूर्व हिमालय वुड बैज ‍ाि‍शिक्षित स्काउट लीडर/उच्च प्राि‍श्‍क्षित गाइड/लीडर/कैप्टन
(ख) हाल ही में कम से कम 3 वर्ष के लिए स्काउट्स संगठन का एक सक्रिय सदस्य रहा हो और अब भी सक्रिय हों
(ग) राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम एक स्पर्धा(इवेंट) तथा राज्य स्तर पर दो स्पर्धा(इवेंट्स) में भाग लिया हो
या
यूनिट/जिला स्तर पर स्काउट/गाइड गतिविधियों में हिस्सा लेने का अच्छा रिकार्ड रखता हो ।
(10) उन उम्मीदवारों का, जो जारी की गई अधिसूचना के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं और जो स्काउट और गाइड कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र पाए जाते हैं, निम्नलिखित आधार पर आंकलन किया जाना चाहिए :-
(क) लिखित परीक्षा 50 अंक
लिखित परीक्षा में ग्रुप 'सी' के लिए अनुबंध-। और ग्ु रप 'डी' के लिए अनुबंध-2 में दिये गए पाठय विवरण के अनुसार स्काउट और गाइड संगठन और उसकी गतिविधियों से सम्बन्धित 50 वस्तुनिष्ठ प्र6न होंगे।
(ख) पात्रता की न्यूनतम निर्धारित शर्त के 35 अंक

(ग) अलावा स्काउट/गाइड अर्हताएं

(क) अंतराष्ट्रीय स्पर्धा(इवेंट) में भाग लेना 7 अंक (एक स्पर्धा - 5 अंक, दो अथवा अधिक स्पर्धा - 7 अंक)

(ख) राष्ट्रीय स्पर्धाओं/राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेना (पहली स्पर्धा के लिए कोई अंक नहीं, यह 7 अंक न्यूनतम पात्रता शर्त होने के कारण, पहली अतिरिक्त स्पर्धा - 5 अंक, दो अतिरिक्त स्पर्धाएं अथवा इससे अधिक - 7 अंक

(ग) भारतीय रेलों पर जम्बूरी में भाग लेना 7 अंक (एक स्पर्धा - 5 अंक, दो अथवा अधिक स्पर्धा - 7 अंक)

(घ) जिन स्पर्धाओं/आंदोलनों में राज्य स्तर पर भाग लिया गया हो 7 अंक (एक स्पर्धा - 5 अंक, दो अथवा अधिक स्पर्धा - 7 अंक)

(ड) वि6ाशष्ट स्काउट/गाइड पाठयक्रम पायनियरिंग/ 7 अंक मैपिंग तथा स्टैंडर्ड जपिंग पाठयक्रम/व्यावसायिक क्राफ्ट पाठयक्रम (एक पाठयक्रम - 5 अंक, दो अथवा अधिक पाठयक्रम - 7 अंक)

(ग) व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार 15 अंक

कुल 100 अंक

(11) ग्रुप 'सी' चयन के लिए, भर्ती समिति में महाप्रबन्धक द्वारा नामित वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के 3 अधिकारी शामिल होंगे जबकि ग्रुप 'डी' चयन के लिए समिति में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के 3 अधिकारी शामिल होंगे । उनमें से एक अधिकारी आयुक्त (स्काउट/गाइड) के अवैतनिक पद पर होना चाहिए । 3 सदस्यों में एक सदस्य अनिवार्यत: कार्मिक विभाग का होना चाहिए।

(12) स्काउट एवं गाइड कोटे के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्तियों को उच्चतर वेतन निर्धारण स्वीकार्य नहीं होगा ।

(13) स्काउट एवं गाइड कोटे के अन्तर्गत क्लर्कों की कोटियों में नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टाइपिंग में प्रवीणता प्राप्त करनी होगी तथा नियत अवधि में निर्धारित टाइपिंग अर्हता प्राप्त करने तक उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी ।

(बोर्ड का दिनांक 03.03.1999 क़ा पत्र सं0 ई(एनज़ी) II/98/आर.आर.-2/7)

3 भर्ती की अन्य शर्तें वही रहेंगी जो समतुल्य कोटियों में भर्ती के लिए लागू हैं ।

सं0 ई(एनज़ी)II/99/आर.आर.-2/3 दिंनांक 04.05.2000 ।